सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

26 आश्विन, 1935 शकाब्द

संख्या 736

राँची, शुक्रवार 18 अक्टूबर, 2013

परिवहन विभाग

अधिसूचना

17 अक्टूबर, 2013

झारखण्ड मोटरगाड़ी (संशोधन) नियमावली, 2011

संख्या–परि०वि०–145/2007–1083––झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली, 2001 के अध्याय (ii), (iii), (IV) एवं (V) के लिए विनिर्दिष्ट शुल्को में वृद्धि करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था जिसपर मोटरगाड़ी अधिनियम 1988 की धारा–212 के तहत अधिसूचना प्रारुप को झारखण्ड गजट में प्रकाशित किया गया। अधिसूचना प्रारुप पर प्रकाशन अवधि में प्रभावित व्यक्तियों से आपत्ति/अभ्यावेदन आमंत्रित किया गया। निर्धारित समय–सीमा के भीतर प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर सुनवाई के पश्चात् आपत्तियों का निराकरण करते हुए मोटरगाड़ी अधिनियम, 1988 की धारा 211 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड मोटरगाड़ी (संशोधन) नियमावली, 2011 अधिसूचना संख्या–742 दिनांक 13 जुलाई, 2013 गजट संख्या–518 दिनांक 19 जुलाई, 2013 से अधिसूचित किया गया।

परिवहन विभाग के अधिसूचना संख्या–772 दिनांक 19 जुलाई, 2013 गजट संख्या–520 दिनांक 20 जुलाई, 2013 द्वारा इसे गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावीकृत किया गया।

परिवहन विभाग के अधिसूचना संख्या–845 दिनांक 6 अगस्त, 2013 गजट संख्या–561 दिनांक 7 अगस्त, 2013 द्वारा गजट में प्रकाशन की तिथि से इसे दिनांक 31 अगस्त, 2013 तक के लिए स्थगित किया गया।

मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक 26 सितम्बर, 2013 की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि झारखण्ड मोटरगाड़ी (संशोधन) नियमावली, 2011 में अंकित प्रावधानों के अधीन मोटर वाहन के लिए विभिन्न कोटि के शुल्कों में तीन गुणा से अधिक प्रस्तावित वृद्धि को तीन गुणा तक सीमित रखा जाय।

उक्त आदेश के आलोक में झारखण्ड मोटरगाड़ी (संशोधन) नियमावली, 2011 में निम्नवत् संशोधन किया जाता है :–

1. **संक्षिप्त नाम एवं परिचय –**

(i) यह नियमावली झारखण्ड मोटरगाड़ी (संशोधन) नियमावली, 2011 कहा जा सकेगा ।

(ii) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(iii) यह झारखण्ड राज्य में गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत माना जायेगा ।

अनुलग्नक 'क'

2. **मोटरगाड़ी अधिनियम, 1988 के अध्याय–II के अन्तर्गत झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली, 2001 के नियम 6 के अधीन देय शुल्क –**

(i)	झारखण्ड मोटर गाड़ी नियमावली 2001 के नियम 4 के तहत प्रशिक्षु अनुज्ञप्ति में स्वीकृति के लिये वर्त्तमान जाँच शुल्क 40.00 रूपये (अधिभार सहित) के स्थान पर 100.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(ii)	झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली 2001 के नियम 4(2) के तहत चालक अनुज्ञप्ति की स्वीकृति हेतु प्रत्येक जाँच के लिए शुल्क 100.00 रूपये (अधिभार सहित) के स्थान पर 300.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(iii)	झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली के नियम–12 के तहत छाया चित्र का प्रतिस्थापन शुल्क 20.00 रूपये (अधिभार सहित) के स्थान पर 60.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(iv)	झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली के नियम 13 के तहत द्वितीय प्रति चालक अनुज्ञप्ति शुल्क 60.00 रूपये (अधिभार सहित) के स्थान पर 150.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।

(v)	झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली के नियम 18 के तहत परिवहन वाहन का परिचालन हेतु प्राधिकरण शुल्क 40.00 रुपये (अधिभार सहित) के स्थान पर 100.00 रुपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(vi)	झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली के नियम 20 के तहत अपील के लिये शुल्क 60.00 रुपये (अधिभार सहित) के स्थान पर शुल्क 150.00 रुपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(vii)	झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली के नियम 20 के अन्तर्गत प्रत्येक दस्तावेज की प्रति के लिये शुल्क 50.00 रुपये (अधिभार सहित) के स्थान पर शुल्क 150.00 रुपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(viii)	झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली के नियम 21 के तहत चालक अनुज्ञप्ति की विवरणी की प्रत्येक प्रति हेतु शुल्क 20.00 रुपया (अधिभार सहित) के स्थान पर 50.00 रुपया प्रतिस्थापित किया जाता है।
(ix)	मोटर गाड़ी अधिनियम की धारा 8 की उपधारा 3 के तहत चिकित्सा प्रमाण पत्र निर्गमन हेतु शुल्क 20.00 रुपये (अधिभार सहित) के स्थान पर शुल्क 60.00 रुपये प्रतिस्थापित किया जाता है।

3. **मोटरगाड़ी अधिनियम, 1988 के अध्याय–III के अन्तर्गत झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली, 2001 के नियम 26 के अन्तर्गत देय शुल्क –**

(i)	झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली के नियम 30 के तहत संवाहक अनुज्ञप्ति की स्वीकृति हेतु जाँच शुल्क 40.00 रुपये (अधिभार सहित) के स्थान पर शुल्क 100.00 रुपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(ii)	झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली के नियम 30 के तहत संवाहक अनुज्ञप्ति की स्वीकृति हेतु शुल्क 60.00 रुपये (अधिभार सहित) के स्थान पर शुल्क 150.00 रुपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(iii)	झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली के नियम 31 के तहत बैज की स्वीकृति अथवा प्रतिस्थापन के लिये शुल्क 20.00 रुपये (अधिभार सहित) के स्थान पर शुल्क 50.00 रुपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(iv)	झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली के नियम 34 के तहत संवाहक अनुज्ञप्ति पर छाया चित्र प्रतिस्थापन का शुल्क 20.00 रुपये (अधिभार सहित) के स्थान पर शुल्क 50.00 रुपये प्रतिस्थापित किया जाता है।

(v)	झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली के नियम 35 के तहत संवाहक अनुज्ञप्ति की द्वितीय प्रति हेतु शुल्क 40.00 रूपये (अधिभार सहित) के स्थान पर शुल्क 50.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(vi)	झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली के नियम 37 के तहत अपील हेतु शुल्क 40.00 रूपये (अधिभार सहित) के स्थान पर शुल्क 120.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(vii)	झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली के नियम 37 के तहत प्रत्येक दस्तावेज की प्रति हेतु शुल्क 40.00 रूपये (अधिभार सहित) के स्थान पर शुल्क 120.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।

4. **मोटरगाड़ी अधिनियम, 1988 के अध्याय–IV के अन्तर्गत झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली, 2001 के नियम 44 के अधीन देय शुल्क –**

(i)	झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली के नियम 41 के उपनियम 1 के तहत अपील के लिये शुल्क 100.00 रूपये (अधिभार सहित) के स्थान पर शुल्क 150.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(ii)	झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली के नियम 47 के तहत प्रदत्त सुविधा के लिये प्रति मोटरवाहन का शुल्क 20.00 रूपये (अधिभार सहित) के स्थान पर शुल्क 60.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(iii)	झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली के नियम 58 ए० के प्रत्येक दस्तावेज की प्रति के लिये शुल्क 20.00 रूपये (अधिभार सहित) के स्थान पर शुल्क 60.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(iv)	झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली के नियम 52 ए० के उप नियम–2 के तहत योग्यता प्रमाण पत्र के विस्तार के लिये देय शुल्क 40.00 रूपये (अधिभार सहित) के स्थान पर शुल्क 120.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(v)	झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली के नियम 52 ए के उप नियम 1 के तहत अस्थायी निबंधन प्रमाण पत्र अथवा विस्तार के लिये शुल्क 40 रूपये (अधिभार सहित) के स्थान पर शुल्क दो पहिया वाहन 100.00 रूपये एल०एम०भी० 100.00 रूपये एम०एम० भी० 120.00 रूपये एच०एम०भी० 120.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।

(vi)	झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली के तहत निबंधन प्रमाण पत्र के द्वितीय प्रति के लिये शुल्क 20.00 रूपये (अधिभार सहित) के स्थान पर शुल्क 60.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(vii)	झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली के तहत योग्यता प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति हेतु शुल्क दो पहिया वाहन 50.00 रूपये, एलएमभी–100.00 रूपये, एमएमभी–150.00 रूपये, एचएमभी–200.00 रूपये के स्थान पर शुल्क दो पहिया वाहन 100.00 रूपये, एलएमभी–200.00 रूपये, एमएमभी–300.00 रूपये, एचएमभी–400.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(viii)	नियम 58 के अधीन प्रत्येक वाहन के निबंधन के विशिष्टियों की प्रतिलिपि के लिए 10 रू० के स्थान पर शुल्क 30 रू० प्रतिस्थापित किया जाता है।

5 मोटरगाड़ी अधिनियम, 1988 के अध्याय–V के अन्तर्गत झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली 2001 के नियम 74 के अधीन देय शुल्क–

(i)	विशेष स्टेज कैरेज (विशेष सवारी गाड़ी बस) के पाँच साल के स्थायी परमिट शुल्क 2000.00 रूपये के स्थान पर 6000.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(ii)	स्टेज कैरेज सेवा (सवारी गाड़ी बस) के पाँच साल के स्थायी परमिट शुल्क 2000.00 रूपये के स्थान पर 6000.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(iii)	कॉन्ट्रैक्ट कैरेज (आकस्मिक अथवा विशेष) मोटरकैब से भिन्न एक क्षेत्र का पाँच वर्षो के लिए स्थायी परमिट शुल्क 1000.00 रूपये के स्थान पर 2000.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(iv)	कॉन्ट्रैक्ट कैरेज (आकस्मिक अथवा विशेष) मोटरकैब से भिन्न दो क्षेत्रों का पाँच वर्षो के लिए स्थायी परमिट शुल्क 1200.00 रूपये के स्थान पर 3600.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(v)	कन्ट्रैक्ट कैरेज (आकस्मिक अथवा विशेष) मोटर कैब से भिन्न दो से अधिक क्षेत्रों का पाँच वर्षो के लिए स्थायी परमिट शुल्क 2000.00 रूपये के स्थान पर 6000.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(vi)	कन्ट्रैक्ट कैरेज (आकस्मिक अथवा विशेष) मीटर के साथ मोटर कैब (कार) हेतु एक क्षेत्र का पाँच वर्षो के लिए स्थायी परमिट शुल्क 1000.00 रूपये के स्थान पर 2000.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(vii)	कन्ट्रैक्ट कैरेज (आकस्मिक अथवा विशेष) मीटर के साथ कैब (कार) हेतु दो क्षेत्रों का पाँच वर्षो के लिए स्थायी परमिट शुल्क 1200.00 रूपये के स्थान पर 3600.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।

(viii)	कन्ट्रैक्ट कैरेज (आकस्मिक अथवा विशेष) मीटर के साथ कैब (कार) हेतु दो से अधिक क्षेत्रों का पाँच वर्षो के लिए स्थायी परमिट शुल्क 2000.00 रूपये के स्थान पर 6000.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(ix)	कन्ट्रैक्ट कैरेज (आकस्मिक अथवा विशेष) बिना मीटर के मोटर कैब (कार) के लिये एक या अधिक क्षेत्रों का पाँच वर्षो के लिए स्थायी परमिट शुल्क 5000.00 रूपये के स्थान पर 10000.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(x)	कन्ट्रैक्ट कैरेज (आकस्मिक अथवा विशेष) स्पेशल टैक्सी परमिट के साथ एक या अधिक क्षेत्रों का पाँच वर्षो के लिए स्थायी परमिट शुल्क 6000.00 रूपये के स्थान पर 15000.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(xi)	कन्ट्रैक्ट कैरेज (आकस्मिक अथवा विशेष) मोटरकैब (कार से भिन्न) बिना मीटर अथवा मीटर के साथ एक क्षेत्र का पाँच वर्षो के लिए स्थायी परमिट शुल्क 1000.00 रूपये के स्थान पर 2000.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(xii)	कन्ट्रैक्ट कैरेज (आकस्मिक अथवा विशेष) मोटरकैब (कार से भिन्न) बिना मीटर अथवा मीटर के साथ दो क्षेत्रों का पाँच वर्षो के लिए स्थायी परमिट शुल्क 1200.00 रूपये के स्थान पर 3600.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(xiii)	कन्ट्रैक्ट कैरेज (आकस्मिक अथवा विशेष) मोटर कैब (कार से भिन्न) बिना मीटर अथवा मीटर के साथ दो से अधिक क्षेत्रों का पाँच वर्षो के लिए स्थायी परमिट शुल्क 1200.00 रूपये के स्थान पर 3600.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(xiv)	निजी वाहक (प्राइवेट कैरियर) पाँच वर्षो के लिए स्थायी परमिट शुल्क 1000.00 रूपये के स्थान पर 3000.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(xv)	लोक वाहन (माल वाहक) एक क्षेत्र के लिये पाँच वर्षो का स्थायी परमिट शुल्क 1000.00 रूपये के स्थान पर 2000.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(xvi)	लोक वाहन (माल वाहक) दो क्षेत्रों के लिये पाँच वर्षो का स्थायी परमिट शुल्क 1200.00 रूपये के स्थान पर 3600.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(xvii)	लोक वाहन (माल वाहक) दो से अधिक क्षेत्रों के लिये पाँच वर्षो का स्थायी परमिट शुल्क 2000.00 रूपये के स्थान पर 6000.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।

(xviii)	निजी मोटरकार चालक को छोड़कर 9 (नौ) से अधिक यात्रियो को ढ़ोने योग्यं पाँच वर्षो का स्थायी परमिट शुल्क 500.00 रूपये के स्थान पर 1000.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(क)	**परमिट की स्वीकृति या नवीकरण या शर्त्तों के विचलन हेतु आवेदन पत्र नीचे वर्णित फीस के साथ दाखिल किये जायेगें :–**
(i)	विशेष स्टेज कैरेज (विशेष सवारी गाड़ी बस) परमिट का पाँच वर्षो के लिए आवेदन शुल्क 100.00 रूपये के स्थान पर 300.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(ii)	स्टेज कैरेज सेवा (सवारी गाड़ी बस) परमिट का पाँच वर्षो के लिए आवेदन शुल्क 100.00 रूपये के स्थान पर 300.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(iii)	कन्ट्रैक्ट कैरेज (आकस्मिक अथवा विशेष) मोटर कैब अथवा मोटर कैब से भिन्न परमिट का पाँच वर्षो के लिए आवेदन शुल्क 50.00 रूपये के स्थान पर 150.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(iv)	निजी वाहक (प्राइवेट कैरियर) परमिट का पाँच वर्षो के लिए आवेदन शुल्क 50.00 रूपये के स्थान पर 150.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(v)	लोक वाहक (मालवाहक) परमिट का पाँच वर्षो के लिए 50.00 रूपये के स्थान पर 150.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(vi)	निजी मोटरकार चालक को छोड़कर नौ से अधिक यात्रियों को ढ़ोने योग्य वाहन परमिट का जाँच के लिये 50.00 रूपये के स्थान पर 150.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(ख)	**अस्थायी परमिट से भिन्न परमिट की स्वीकृति या नवीकरण या प्रतिहस्ताक्षर के लिये शुल्क :–**
(i)	राज्य के भीतर एक क्षेत्र के मार्ग अथवा मार्गो या उपक्षेत्र अथवा उपक्षेत्रों के लिये 500.00 रूपये के स्थान पर 1500.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(ii)	राज्य के भीतर एक से अधिक क्षेत्र में मार्ग अथवा मार्गो या उपक्षेत्र अथवा उपक्षेत्रों के लिये 800.00 रूपये के स्थान पर 2400.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(iii)	राज्य के भीतर के मार्गो या क्षेत्र अथवा क्षेत्रों के लिये दूसरे राज्य द्वारा निर्गत परमिट के मामले में 1000.00 रूपये के स्थान पर 2500.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।

(iv)	अस्थायी परमिट के प्रतिहस्ताक्षर के लिये आवेदन शुल्क 500.00 रूपये अन्तःस्थापित किया जाता है।
(v)	स्थायी परमिट के प्रतिहस्ताक्षर के लिये आवेदन शुल्क 500.00 रूपये अन्तःस्थापित किया जाता है।
(ग)	**अन्तर्क्षेत्रीय या अंतर्राज्यीय/प्रत्येक प्रयोजन के लिये अलग–अलग अस्थायी परमिट शुल्कः–**
(i)	अस्थायी परमिट शुल्क प्रत्येक 7 (सात) दिन या उसके किसी भाग के लिये 50.00 रूपये के स्थान पर 100.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(ii)	अस्थायी परमिट चार माह के लिये (ऑटो रिक्शा के अतिरिक्त) 240.00 रूपये के स्थान पर 720.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(iii)	अस्थायी परमिट चार माह के लिये (ऑटो रिक्शा के लिये) 45.00 रूपये के स्थान पर 135.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(घ)	**स्थाई परमिट के प्रतिहस्ताक्षर की शुल्क :–**
(i)	राज्य के भीतर मार्ग अथवा मार्गों या क्षेत्र अथवा क्षेत्रों के लिये स्थाई परमिट के प्रतिहस्ताक्षर की शुल्क 250.00 रूपये के स्थान पर 750.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(ii)	इस राज्य के भीतर दूसरे राज्य द्वारा निर्गत परमिट के मामले में मार्ग अथवा मार्गों या क्षेत्र अथवा क्षेत्रों के लिये स्थाई परमिट के प्रतिहस्ताक्षर की शुल्क 500.00 रूपये के स्थान पर 1500.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(ङ.)	परमिट से आवृत वाहन को दूसरे वाहन से बदलने के लिये अथवा उसके स्थानान्तरण या परमिटधारी का पता बदलने के लिये शुल्क 200.00 रूपये के स्थान पर 600.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(च)	टैक्सी मीटर के अनुमोदन हेतु आवेदन पत्र के लिए पूर्ववत 200.00 रूपये शुल्क होगी
(छ)	मालवाहक/सवारी गाड़ी/ठेका गाड़ी परमिट स्थानान्तरण के लिये शुल्क 500.00 रूपये के स्थान पर 1500.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(ज)	परमिट या उसके अंश (पार्ट ए या बी या प्राधिकरण या परमिट खो जाने अथवा बर्बाद होने की स्थिति में) परमिट अथवा उसके अंश की द्वितीय प्रति निर्गत करने का शुल्क 100.00 रूपये के स्थान पर 300.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।

(झ)	**अपील के लिए अधिनियम की धाराओं के अधीन भुगतेय शुल्क :–**
(i)	अधिनियम की धारा 89 और उसके अधीन बनाये गये नियम के अधीन अपील या पुनरीक्षण से संबंधित शुल्क की दर 60.00 रूपये के स्थान पर 180.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(ii)	अपील या पुनरीक्षण से संबंधित किसी दस्तावेज की प्रत्येक प्रति के लिये निर्गत आदेश की अभिप्रमाणित प्रति के लिये शुल्क की दर 10.00 रूपये के स्थान पर 30 रुपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(ञ)	**किसी अभिकर्त्ता के अनुज्ञप्ति की स्वीकृति या नवीकरण के संबंध में शुल्क :–**
(i)	अभिकर्ता को अनुज्ञप्ति देने और हरेक नवीकरण के लिये आवेदन शुल्क 150.00 रूपये के स्थान पर 450.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(ii)	अभिकर्ता को अनुज्ञप्ति देने और हरेक नवीकरण के लिये अनुज्ञप्ति शुल्क 500.00 रूपये के स्थान पर 1500.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(iii)	संग्रहण बुकिंग और वितरण अभिकर्ता को मूल स्थापना अनुज्ञप्ति देने तथा हरेक नवीकरण के लिये आवेदन शुल्क 1000.00 रूपये के स्थान पर 3000.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(iv)	संग्रहण बुकिंग और वितरण अभिकर्ता को पूरक स्थापना अनुज्ञप्ति देने तथा हरेक नवीकरण के लिये शुल्क 750.00 रूपये के स्थान पर 2250.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(v)	ऐसे अनुज्ञप्ति की मूल प्रति के खो जाने, बरबाद हो जाने, फट जाने या विरूपित हो जाने के मामले में द्वितीयक प्रति हेतु शुल्क 50.00 रूपये के स्थान पर 150.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(ट)	**चालक/संवाहक के बैज निर्गत करने का शुल्क :–**
(i)	चालक का बैज शुल्क 35.00 रूपये के स्थान पर 105.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(ii)	संवाहक का बैज 25.00 रूपये के स्थान पर 75.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(ठ)	मोटरवाहन अधिनियम की धारा 194 की उपधारा 2 एवं धारा 114 के उपधारा–1 के प्रयोजनार्थ क्षमता से अधिक लदान भार वहन करने वाले वाहन से अधिक भार को हटाकर भंडारण करने का शुल्क रू0 51.00 प्रति 100 कि0ग्रा0 प्रति दिन के स्थान पर रू0 153.00 प्रति 100 कि0ग्रा0 प्रति दिन प्रतिस्थापित किया जाता है।

6. **टैक्सी मीटर जाँच हेतु शुल्क :—**

(i)	झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली के नियम 96 के तहत नवीन टैक्सी मीटर की जाँच हेतु शुल्क 150.00 रूपये के स्थान पर 300.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(ii)	संपूर्ण जाँच शुल्क प्रमाणित टैक्सी मीटर की जाँच शुल्क 30.00 रूपये के स्थान पर 60.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(क)	अभिप्रमाणित एकल मीटर का जाँच शुल्क 30.00 रूपये के स्थान पर 60.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(ख)	प्रत्येक पुर्नजाँच हेतु शुल्क 15.00 रूपये के स्थान पर 30.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।

7. **अभिकर्त्ता अनुज्ञप्ति हेतु प्रतिभूति शुल्क :—**

(i)	झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली के नियम 101 के उपनियम 9 के तहत अभिकर्ता अनुज्ञप्ति हेतु प्रतिभूति शुल्क रू0 1000.00 के स्थान पर 3000.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(ii)	झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली के नियम 103 के उपनियम 4 के तहत संग्रहण, अग्रेषण एवं वितरण अनुज्ञप्ति के निर्गमन तथा प्रत्येक नवीकरण के लिये प्रतिभूति शुल्क रू0 5000.00 के स्थान पर 15000.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।

8. **झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली, 2001 के नियम 74 में निम्नांकित नियम इसके नीचे अन्तःस्थापित किये जाते है :—**

(i)	समय सारणी में परिर्वतन हेतु आवेदन शुल्क 3000.00 रूपये अन्तःस्थापित किया जाता है।
(ii)	प्रत्येक आवेदन एवं आपत्ति दाखिल करने के लिए प्रोसेस शुल्क 1000.00 रूपये अन्तःस्थापित किया जाता है।
(iii)	परिवहन प्राधिकारी द्वारा किसी भी मार्ग की दूरी की माप करने हेतु आवेदक के द्वारा देय शुल्क (कुल देय राशि का भुगतान क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार या राज्य परिवहन प्राधिकार) द्वारा सक्षम परिवहन प्राधिकारी को भुगतान किया जायेगा को 10.00 रूपये प्रति कि0मी0 अन्तःस्थापित किया जाता है।

(iv)	अस्थायी मालवाहक परमिट के लिये आवेदन शुल्क 300.00 रूपये अन्तःस्थापित किया जाता है।
(v)	अस्थायी सवारी गाड़ी परमिट हेतु आवेदन शुल्क 300.00 रूपये अन्तःस्थापित किया जाता है।
(vi)	अस्थायी ठेका गाड़ी परमिट हेतु आवेदन शुल्क 300.00 रूपये अन्तःस्थापित किया जाता है।
(vii)	अस्थायी निजी सेवा वाहन परमिट के लिये आवेदन शुल्क (नौ सीट से अधिक चालक के अतिरिक्त) 300.00 रूपये अन्तःस्थापित किया जाता है।
(viii)	राष्ट्रीय परमिट के अन्तर्गत मालवाहक के स्थायी परमिट हेतु आवेदन शुल्क 500.00 रूपये अन्तःस्थापित किया जाता है।

9. झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली, 2001 के नियम 46 के उपरान्त एक उप नियम– 46(I) निम्नवत रूप से अन्तःस्थापित किये जाते हैं :–

इस नियमावली के नियम 41 के अधीन अस्थायी निबंधीकरण एवं नियम 43 के उपबंध के अधीन निजी वाहन एवं व्यवसायिक मोटरवाहन जिसपर बॉडी बनी हुई आती है, उक्त वाहनों का निरीक्षण बिक्रेता/उप बिक्रेता के व्यवसायिक परिसर में किया जायेगा तथा निम्नवत सारणी के अनुरूप निरीक्षण शुल्क देय होगा –

क्रमांक		निरीक्षण शुल्क (रूपये में)
(a)	निजी मोटरवाहन	
	(i) दो पहिया वाहन	– 100.00
	(ii) मोटरकार/ओमनी बस	– 200.00
	(iii) उपरोक्त (i) एवं (ii) के अतिरिक्त	– 200.00
(b)	व्यावसायिक वाहन	
	(i) हल्के मोटर वाहन	– 200.00
	(ii) मध्यम मोटर वाहन	– 300.00
	(iii) भारी मोटर वाहन	– 400.00

10. झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली, 2001 के नियम 51 के पश्चात् उप नियम 51(I) निम्नवत अन्तःस्थापित किया जाता है :–

"दुरूस्ती प्रमाण पत्र के नवीकरण हेतु अभ्यावेदन सी.एफ.ए. प्रपत्र में दुरूस्ती प्रमाण पत्र की वैधता के एक माह पूर्व दिए जाए, यदि वाहन मालिक निर्धारित अवधि में अभ्यावेदन नहीं देते हैं तो अर्थदंड निम्नवत सारणी के अनुरूप 0041– वाहन कर प्रदायी खाता में देय होगा" ।

Sl. No.	Category of Vehicle	15 days	One month	Two months	More than two months
(i)	Truck (HMV)	200	500	1000	1500
(ii)	Bus	200	500	1000	1500
(iii)	Mini Bus	200	500	1000	1500
(iv)	Mini Truck	150	450	750	1000
(v)	Taxi	100	100	500	750
(vi)	Van (LMV)	100	200	500	750
(vii)	Auto Rickshaw	75	100	300	500
(viii)	Trailors	75	100	300	500

11. झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली, 2001 के नियम 82 के उपनियम 7 के पश्चात् उप नियम 8 निम्नवत रूप से अन्तःस्थापित किया जाता है :–

"स्वीकृत अस्थायी/स्थायी किसी तरह के परमिट की वैद्यता की समाप्ति के 15 दिनों पूर्व, नवीकरण हेतु आवेदन विहित प्रपत्र में वाहन स्वामी द्वारा देय होगा, ऐसा नहीं होने की स्थिति में निम्न रूप से विशेष शुल्क देय होगा" ।

Sl.No	Duration	Amount of late fee
(i)	Less than 15 days, but within the last date of expiry	100.00
(ii)	After the last date of expiry but within 30 days	300.00

(iii)	After 30 days of the date of expiry, but within 60 days of the date of expiry	1000.00
(iv)	After 60 days, but within 90 days of the date of expiry	3000.00
(v)	Beyond 90 days	3000 for 90 days + Rs. 500 per month or part thereof beyond 90 days subject to maximum of Rs. 10000/-

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

मस्त राम मीणा,

सचिव,

परिवहन विभाग ।

....

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 736--150+500 ।